

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 348]

नवा रायपुर, मंगलवार, दिनांक 30 जून 2026 — आषाढ़ 9, शक 1948

वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 22 जून 2026

अधिसूचना

क्रमांक ESTB/15272/2026-REGISTRATION.— रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (क्र. 16 सन् 1908) की धारा 7 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, राजनांदगांव जिले के वर्तमान रजिस्ट्रीकरण उप जिले राजनांदगांव के भीतर तीन कार्यालयों की स्थापना करती है, जिन्हें क्रमशः संयुक्त उप-रजिस्ट्रार कार्यालय राजनांदगांव-1, संयुक्त उप-रजिस्ट्रार कार्यालय राजनांदगांव-2 तथा संयुक्त उप-रजिस्ट्रार कार्यालय राजनांदगांव-3 के रूप में नामित किया जायेगा, इन कार्यालयों का क्षेत्राधिकार नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (4) एवं (5) में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों पर होगा तथा यह निर्देश देती है कि उक्त कार्यालयों की स्थापना दिनांक 01/07/2026 से प्रभावशील होगी

अनुसूची

स.क्र	उप जिले का नाम	संयुक्त उप रजिस्ट्रार के कार्यालय का नाम	पटवारी हल्का क्रमांक	वार्ड क्रमांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	रजिस्ट्रीकरण उप जिला राजनांदगांव	संयुक्त उप रजिस्ट्रार राजनांदगांव-1	● पटवारी हल्का नंबर 48 से 65	● नगर पालिक निगम राजनांदगांव के वार्ड 15 तथा 21 से 29, तथा 37 से 46
2.		संयुक्त उप रजिस्ट्रार राजनांदगांव-2	● पटवारी हल्का नंबर 21 से 47	● नगर पालिक निगम राजनांदगांव के वार्ड 5, 11 से 14, 30 से 36 तथा 47 से 51
3.		संयुक्त उप रजिस्ट्रार राजनांदगांव-3	● पटवारी हल्का नंबर 1 से 20	● नगर पालिक निगम राजनांदगांव के वार्ड 1 से 4, 6 से 10 तथा 16 से 20

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस.के.सिंह, उप-सचिव.

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 22 जून 2026

क्रमांक ESTB/15272/2026-REGISTRATION.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक ESTB/15272/2026-REGISTRATION, दिनांक 22-06-2026 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस.के.सिंह, उप-सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar, the 22nd June 2026

NOTIFICATION

No. ESTB/15272/2026-REGISTRATION.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 7 of the Registration Act, 1908 (No. 16 of 1908), the State Government, hereby, establishes three offices within the existing Registration Sub-District Rajnandgaon of District Rajnandgaon, to be styled respectively as the Joint Sub-Registrar Office Rajnandgaon-1, Joint Sub-Registrar Office Rajnandgaon-2 and Joint Sub-Registrar Office Rajnandgaon-3, having jurisdiction over the areas specified in columns (4) and (5) of the Schedule below, and directs that the establishment of the said offices shall take effect on and from the date of 01/07/2026.

SCHEDULE

Sl. No.	Name of Sub-District	Name of Joint Sub-Registrar Office	Patwari Circle Number	Ward Number
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Registration Sub-District Rajnandgaon	Joint Sub-Registrar Rajnandgaon-1	• Patwari Circle No. 48 to 65	• Wards 15 and 21 to 29, and 37 to 46 of Municipal Corporation Rajnandgaon
2.		Joint Sub-Registrar Rajnandgaon-2	• Patwari Circle No. 21 to 47	• Wards 5, 11 to 14, 30 to 36, and 47 to 51 of Municipal Corporation Rajnandgaon
3.		Joint Sub-Registrar Rajnandgaon-3	• Patwari Circle No. 1 to 20	• Wards 1 to 4, 6 to 10, and 16 to 20 of Municipal Corporation Rajnandgaon

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
S.K. SINGH, Deputy Secretary.